Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 30-04-2007
Participants : Yadav Shri Devendra Prasad,Suman Shri Ramji Lal,Salim Shri Mohammad,Dasmunsi Shri Priya Ranjan,Pradhan Shri Ashok Kumar

Title: Need to fill up posts of various functionaries lying vacant in the National Commission for Scheduled Castes at the earliest.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो समस्याएं थीं और उन पर जो अत्याचार होते थे, उनको देखते हुए भारत सरकार ने 1992 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाया। कुछ समय पहले उसमें से अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया और अनुसूचित जाति आयोग अलग हो गया। संविधान की धारा 338 के तहत इस आयोग को शक्तियां दी गई थीं कि कमज़ोर वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार होते हैं, उससे उनका संरक्षण हो इसलिए सिविल कोर्ट्स की पावर्स कमीशन को दी गईं। अध्यक्ष महोदय, आज कम से कम 40000 समस्याएं और शिकायतें इस आयोग के दफ्तर में पड़ी धूल चाट रही हैं। इस कमीशन का अलग से कोई बजट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे सूरज भान जी, 6 अगस्त, 2006 को उनका निधन हो गया 5 फरवरी, 2007 को इस कमीशन का कार्यकाल पूरा हो गया। अध्यक्ष महोदय, न तो वहां कोई अध्यक्ष है, न कोई उपाध्यक्ष है, न कोई सदस्य है। उस कमीशन की भूमिका शून्य के बराबर हो गई है और दो महीने होने वाले हैं, वह कमीशन का दफ्तर बंद पड़ा है। यह सरकार अभी तक कमीशन की नियुक्ति नहीं कर पाई है। तीन सदस्यों की नियुक्ति वहां होनी है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ती होनी है। कमज़ोर वर्ग के लोगों की समस्याओं की एक लंबी फेहरिस्त उस दफ्तर में पड़ी हुई है। वहां न कोई लॉ ऑफिसर है, न कोई पुलिस के आला अफसरान हैं। कुल मिलाकर उस कमीशन की उपयोगिता खत्म हो गई है। मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि इस सरकार का कमज़ोर वर्गों और दलितों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यह ऐसा सवाल नहीं है कि राट्रीय दलों से सलाह-मशविरा करना है या कानूनी राय लेनी है या विशेाज्ञों से पूछना है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको खत्म तो करने दीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार को ही नॉमिनेशन करना था। यह सरकार कमीशन के सदस्यों को नॉमिनेट नहीं कर पाई। इस कमीशन की कोई सार्थकता नहीं है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is enough. I am sorry, I have to review this time for raising important matters.

… (*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह एक संवैधानिक संस्था है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Everyone must sit down. It is becoming limitless. You are there not to dictate to anybody.

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : हम भी सहमति व्यक्त करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सहमति व्यक्त करेंगे। उसके लिए हमने एक प्रोसैस चालू किया है। आप नाम भेजिए, आपका नाम रिकार्ड पर जाएगा। आप बीच में उठकर बोल रहे हैं। I think I will have to appeal to the Leaders. Are we really utilizing this hour for really raising important issues or not? You have agreed with me that only five nationally important matters will be raised. Now, from State matters, also constituency matter, everything is being raised. I am being abused that I am not allowing Members to speak. There is a limit to this.

श्री अशोक प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रामजीलाल सुमन जी ने राट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पुनर्गठन का जो मामला उठाया है, मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूँ।

MR. SPEAKER : Shri Devendra Prasad Yadav and Md. Salim are also associated.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Through you, I would like to inform the House a very important matter. The Government under the leadership of Dr. Manmohan Singh, the Prime Minister attaches the greatest importance to the UPA programmes and policies, the conditions of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, weaker sections and the Minorities. This is a wing which is fully a constitutional body. In March, 2007, almost the entire process has been worked out by the desk of the Ministry. Since it is a constitutional matter, some follow up matters are required to be carried out. I want to confidently inform the House that this matter will be resolved within a week. Cabinet is also addressing the issue and I have been given the assurance by the concerned Ministry that very soon we are composing the full body, consisting of Chairman, Vice-Chairman, Members and others. Technical procedures and the constitutional arrangements of the system are being followed up. It is not an *ad-*

hoc appointment of the Government; it is a constitutional appointment. Therefore, parameters - as to how it appears and how it goes - have to be followed up. Therefore, I would like to say that it would be done very soon. Hopefully, it will be done before the end of this Session. We would be coming back to the full Scheduled Castes Commission as the Constitution desires and as per the provisions of the Constitutions. Therefore, there is no confusion about it.

So far as the second allegation that law officer is not there and works are not being done, I would like to say that it is not correct. I would like to inform the House that all the works pertaining to the Scheduled Castes issues and grievances are being addressed on a day to day basis by the Government. [r21]